

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
139/2024

दायर दिनांक  
05.04.2024

निर्णय दिनांक  
13.04.2025

उनवान

1. ऊंकार पिता नानूराम विश्नोई, निवासी—दरीबा, तहसील व जिला—भीलवाड़ा (राज०)
2. मांगी लाल पिता नानूराम विश्नोई, निवासी—दरीबा, तहसील व जिला—भीलवाड़ा।
3. शंकर पिता नानूराम विश्नोई, निवासी—दरीबा, तहसील व जिला—भीलवाड़ा (राज०)

— प्रार्थीगण

बनाम

1. गोविंद पिता रतन विश्नोई निवासी—दरीबा, तहसील व जिला—भीलवाड़ा (राज०)
2. उदा पिता छोगा कुमावत, निवासी—दरीबा, तहसील व जिला—भीलवाड़ा (राज०)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री हरदयाल वर्मा  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू—राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दरीबा, पटवार हल्का—दरीबा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र—पांसल, तहसील व जिला—भीलवाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारी एवं आधिपत्य की खाता संख्या 459 की आराजी संख्या 51 रकबा 1.5427 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 2 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम दरीबा, पटवार हल्का-दरीबा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-पांसल, तहसील व जिला-भीलवाडा में प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारी एवं आधिपत्य की खाता संख्या 459 की आराजी संख्या 51 रकबा 1.5427 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13-01-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(दिव्यराज सिंह चुण्डेयत)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा